

अध्याय ॥

राजस्व खण्ड

अध्याय-II

राजस्व क्षेत्र

2.1 परिचय

2.1.1 राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति

वर्ष 2014-15 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उदगृहित कर एवं करेत्तर राजस्व, वर्ष के दौरान राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का राज्यांश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े तालिका 2.1.1 में दिये गये हैं।

तालिका 2.1.1 राजस्व प्राप्ति प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	राज्य सरकार द्वारा उदगृहित राजस्व					
	• कर राजस्व	4,405.48	5,615.62	6,414.25	7,355.34	8,338.47
	• करेत्तर राजस्व	678.06	1,136.13	1,602.88	1,316.54	1,110.44
	योग	5,083.54	6,751.75	8,017.13	8,671.88	9,448.91
2	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश ¹	2,460.07	2,866.04	3,272.88	3,573.38	3,792.30
	• सहायता अनुदान	4,064.56	4,073.45	4,457.21	5,075.27	7,005.34
	योग	6,524.63	6,939.49	7,730.09	8,648.65	10,797.64
3	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	11,608.17	13,691.24	15,747.22	17,320.53	20,246.55
4	1 से 3 की प्रतिशतता	44	49	51	50	47

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान, कुल राजस्व प्राप्तियों का 47 प्रतिशत (₹ 9,448.91 करोड़) राज्य सरकार द्वारा उदगृहित किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्तियों का शेष 53 प्रतिशत (₹ 10,797.64 करोड़) भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल आगमों का अंश एवं सहायता अनुदान के हिस्से के रूप में था।

2.1.2 वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान उदगृहित कर राजस्व का विवरण तालिका 2.1.2 में दर्शाया गया है।

¹ नोट: विवरण हेतु, कृपया उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2014-15 के वित्त लेखों (खण्ड-II) में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण सं.-14 देखें। उपरोक्त तालिका में आंकड़े मुख्य लेखाशीर्ष - 0020 - निगम कर, 0021 - निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032 - सम्पत्ति कर, 0037 - सीमा शुल्क, 0038 - संघीय उत्पाद शुल्क तथा 0044 - सेवा कर 'अ-कर राजस्व' के अन्तर्गत वित्त लेखों में अंकित राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों के अंश को, राज्य द्वारा उदगृहित राजस्व से निकाल दिया गया है तथा इस विवरण के विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में सम्मिलित किया गया है।

तालिका 2.1.2 उदगृहित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व प्राप्ति का शीर्ष	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		वास्तविक वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान 2014-15 के सापेक्ष 2014-15	वास्तविक 2013-14 के सापेक्ष 2014-15
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,586.00	2,940.48	3,187.60	3,643.51	4,088.10	4,289.41	4,847.22	4,902.91	5,459.01	5,464.84	(+)0.11	(+)11.46
2.	राज्य आबकारी	686.93	755.92	727.67	843.65	942.15	1,117.92	1,149.25	1,269.29	1,345.40	1,486.66	(+)10.50	(+)17.13
3.	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	425.65	439.50	483.85	524.05	573.95	648.40	640.40	686.71	708.79	714.06	(+)0.74	(+)3.98
4.	मोटर वाहनों पर कर	225.30	227.26	249.53	334.69	275.00	304.29	320.00	368.83	360.00	393.70	(+)9.36	(+)6.74
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	72.00	2.16	75.00	229.02	60.00	2.71	100.00	64.66	100.00	192.65	(+)92.65	(+)197.94
6.	भू-राजस्व	11.73	18.31	13.48	10.18	8.55	10.59	8.15	21.65	9.05	39.26	(+)333.81	(+)81.34
7.	उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	8.68	12.15	10.60	16.52	17.50	23.13	24.41	23.47	25.01	25.26	(+)1.00	(+)7.63
8.	अन्य	8.00	9.70	12.00	14.00	15.00	17.80	22.00	17.82	16.00	22.04	(+)37.75	(+)23.68
	योग	4,024.29	4,405.48	4,759.73	5,615.62	5,980.25	6,414.25	7,111.43	7,355.34	8,023.26	8,338.47	(+) 3.93	(+)13.37

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2010-11 से 2014-15 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹ 4,405.48 करोड़ से ₹ 8,338.47 करोड़ (89.27 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वर्ष 2013-14 से 2014-15 में 13.36 प्रतिशत बढ़ी। यद्यपि, वर्ष के दौरान वृद्धि की दर पिछले वर्ष की तुलना में मामूली सी 1.33 प्रतिशत घटी थी। बिक्री कर, व्यापार आदि से प्राप्त राजस्व ना केवल राजस्व कर (65.53 प्रतिशत) में मुख्य अंशदाता बनी बल्कि पिछले वर्ष की तुलना में 11.46 प्रतिशत की वृद्धि भी की। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य आबकारी एक अन्य मुख्य अंशदाता था।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये:

वाहनो पर कर:- वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में मुख्य शीर्ष "0041" में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि का कारण मोटरवाहन सुधार नियमावली/अधिनियम, 2003 को पुनरीक्षित कर सुधार करना रहा।

विद्युत पर कर एवं शुल्क:- पिछले वर्षों में विद्युत पर करों एवं शुल्कों में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण, उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0 द्वारा विद्युत शुल्कों की बड़ी राशि का जमा होना था।

भू-राजस्व:- वर्ष 2014-15 में राजस्व में वृद्धि का कारण, विभिन्न विभागों के विविध बकाये की वसूली हेतु संग्रह शुल्क जैसे व्यापार कर, वानिकी देय, परिवहन कर, आबकारी शुल्क, उद्योग, विद्युत देय, वित्त निगम, बैंक देय, स्टाम्प शुल्क आदि था।

2.1.3 वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान उदगृहित करेत्तर राजस्व का विवरण तालिका 2.1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.3
उदगृहित करेत्तर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व प्राप्ति शीर्ष	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		वास्तविक वृद्धि (+) या कमी (-) की प्रतिशतता	
		बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान 2014-15 के सापेक्ष 2014-15	वास्तविक 2013-14 के सापेक्ष 2014-15
1.	ऊर्जा	230.00	13.54	235.00	41.24	84.00	150.04	122.55	121.11	122.55	45.01	(-)63.28	(-)62.84
2.	ब्याज प्राप्ति	62.00	53.76	52.01	50.62	35.00	114.76	44.83	51.12	33.10	108.17	(+)226.80	(+)111.60
3.	वानिकी एवं वन्य जीव	266.10	229.69	286.83	234.26	296.71	238.20	309.34	362.70	342.06	351.24	(+)2.68	(-)3.16
4.	लोक निर्माण	14.51	24.83	17.27	17.85	16.16	18.13	9.15	15.51	19.11	28.29	(+)48.04	(+)82.40
5.	विविध सामान्य सेवायें	22.00	28.23	14.00	37.57	11.00	25.85	3.55	48.74	21.00	8.26	(-)60.67	(-)83.05
6.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	10.12	47.15	12.21	70.15	11.82	38.72	3.73	32.38	19.13	33.50	(+)75.12	(+)3.46
7.	पुलिस	9.00	11.26	9.00	11.41	10.11	10.98	11.21	13.39	11.47	16.51	(+)43.94	(+)23.30
8.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	11.48	29.01	17.93	23.20	23.16	30.00	22.10	44.04	24.52	37.78	(+)54.08	(-)14.21
9.	सहकारिता	5.18	1.70	1.02	2.93	2.21	1.38	2.23	9.78	2.01	1.17	(-)41.79	(-)88.04
10.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	3.32	5.10	3.31	8.07	2.37	7.65	2.42	6.75	2.42	9.22	(+)280.99	(+)36.59
11.	अलौह धातु खनन/धातु कर्म उद्योग	99.01	93.62	110.01	112.58	131.00	109.85	151.00	249.99	301.00	223.72	(-) 25.67	(-) 10.51
12.	अन्य करेत्तर प्राप्ति	382.28	140.17	888.52	526.25	584.63	857.32	534.15	361.03	909.09	247.57	(-) 72.76	(-) 31.43
	योग	1,115.00	678.06	1,647.11	1,136.13	1,208.17	1,602.88	1,216.26	1,316.54	1,807.46	1,110.44	(-)38.56	(-)15.65

स्रोत: वित्त लेख

करेत्तर राजस्व वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान लगातार बढ़ा परन्तु यह वर्ष 2013-14 से घटती प्रवृत्ति दर्शाती है। पिछले वर्ष के ₹286.34 करोड़ (17.86 प्रतिशत) की कमी के सापेक्ष वर्ष 2014-15 के दौरान इसमें ₹206.10 करोड़ (15.65 प्रतिशत) की कमी दर्ज की गयी।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारण बताये:

पुलिस:- इस राजस्व शीर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्ति का कारण, विभागीय परीक्षाओं के आवेदनकर्ताओं द्वारा आवेदन फार्म के साथ निर्धारित शुल्क जमा किया जाना था।

चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य:- विभाग द्वारा बताया गया (जुलाई 2015) कि 2014-15 से पूर्व, चिकित्सा शिक्षा की राजस्व प्राप्ति विभाग के प्राप्ति शीर्ष में जमा की जाती थी। अब, वे मेडिकल कालेज के खाते में रखी जा रही थी, क्योंकि इस संबंध में निर्णय शासन स्तर पर लम्बित था। अतः चिकित्सा शिक्षा के राजस्व शीर्ष की कम जमा प्राप्ति के कारण पिछले वर्ष की तुलना में विभाग की राजस्व प्राप्ति में कमी दर्ज की गई।

सहकारिता:- पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्ति में कमी के मुख्य कारण, समितियों/ संस्थाओं द्वारा अधिक आडिट शुल्क जमा कराया जाना, नेशन कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन से अनुदान की प्रतिपूर्ति में कमी और आर्बीट्रेशन एवं समितियों का निबंधन कम होना था।

खनन उद्योग:- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014-15 में राजस्व प्राप्ति में कमी के कारण, संस्वीकृत लीज खनन का समर्पण, भारत सरकार द्वारा वन क्षेत्र में खनन करने का अनुमोदन न किया जाना एवं नैनीताल जिले की गोला नदी में खनन कार्य का अवरुद्ध किया जाना था।

उर्जा:- वित्त लेखे के अनुसार, वर्ष 2014-15 में उर्जा विभाग का करेत्तर राजस्व ₹ 45.01 करोड़ था। जबकि, विभाग द्वारा सूचित किया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान वास्तविक प्राप्ति ₹ 179.31 करोड़ थी और यह भी सूचित किया गया कि बजट अनुमन्य एवं पिछले वर्ष की तुलना में बुकड राजस्व प्राप्ति में वृद्धि का मुख्य कारण पिछले बकायों का भुगतान/समायोजन किये जाने से था। इससे यह प्रदर्शित होता है कि विभाग अपने बुक किये हुए राजस्व प्राप्तियों के आँकड़ों के अन्तर को वित्त लेखों से मिलान करने में असफल रहा।

2.1.4 राजस्व बकायों का विश्लेषण

मुख्य राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत 31 मार्च, 2015 को ₹ 7,024.24 करोड़ के राजस्व बकायों में से ₹ 687.49 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि तालिका 2.1.4 में वर्णित है।

तालिका 2.1.4 राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 को कुल बकाये की राशि	31 मार्च 2015 को 5 वर्षों से अधिक बकाये की राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्धित कर	6,462.49	669.88	₹ 491.50 करोड़ (1,820 मामले) की वसूली न्यायालय में विचाराधीन है। शेष ₹ 5,970.99 करोड़ के वसूली प्रमाणपत्र, जहाँ भी आवश्यक थे जारी किये जा चुके हैं।
2.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	523.22	0	विभाग ने बताया कि इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि से नियमित पत्राचार किया जा रहा है।
3.	सहकारिता	19.57	10.71	वसूली हेतु माँग जिला स्तर के अधिकारियों के माध्यम से संसाधित हो गयी है।
4.	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	13.29	3.71	₹ 0.30 करोड़ की वसूली न्यायालय में विचाराधीन है तथा अन्य प्रकरणों में वसूली हेतु माँग संसाधित की गयी है।
5.	वाहनों पर कर	4.77	2.57	13 प्रकरण (₹ 0.10 करोड़) न्यायालय में विचाराधीन है। शेष प्रकरणों में वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।
6.	राज्य आबकारी	0.60	0.60	₹ 0.25 करोड़ की धनराशि के दो प्रकरण न्यायालय में लम्बित है। अन्य प्रकरणों में, धनराशि (₹ 0.35 करोड़) की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।
7.	गन्ना क्रय पर कर	0.20	0	गन्ना क्रय पर कर, चीनी मिल से चीनी की बोरियों की निकासी के समय नियमित रूप से जमा किया जा रहा है।
8.	मनोरंजन कर	0.10	0.02	₹ 0.02 करोड़ के प्रकरण न्यायालय में लम्बित हैं। शेष प्रकरणों में वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।
योग		7,024.24	687.49	

स्रोत: सम्बन्धित विभाग

2.1.5 निर्धारणों का बकाया

वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित प्रकरणों का विवरण, कर निर्धारण योग्य प्रकरणों, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरणों एवं वर्ष के अन्त में अन्तिमीकरण हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या का विवरण जैसा कि बिक्री कर के सम्बन्ध में वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तालिका 2.1.5 में दिया गया है।

तालिका 2.1.5 बकाया कर निर्धारण

राजस्व शीर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष 2014-15 के दौरान कर निर्धारण योग्य नये प्रकरण	कुल कर निर्धारण योग्य प्रकरण	वर्ष 2014-15 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अन्त में अवशेष	निस्तारण की प्रतिशतता (स्तम्भ 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्धित कर	1,08,617	1,38,822	2,47,439	1,68,235	79,204	67.99

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

विभाग को कर निर्धारण प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु अधिक प्रयास करने चाहिए।

2.1.6 वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन

वाणिज्य कर विभाग द्वारा पकड़े गये करापवंचन के प्रकरणों, निस्तारित प्रकरणों तथा वर्ष 2014-15 में उदगृहित अतिरिक्त कर की मांग का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, तालिका 2.1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.6 करापवंचन

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को लंबित प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2014-15 के दौरान पकड़े गये प्रकरण	योग	प्रकरणों की संख्या जिसमें कर निर्धारण/जांच पूरा होने पर अर्थदण्ड सहित अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2015 को लंबित प्रकरणों की संख्या
				मामलों की संख्या	मांग की राशि	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर/मूल्यवर्धित कर	216	902	1,118	923	320.75	195
मनोरंजन कर	206	204	410	270	0.04	140

विभाग द्वारा, मांग की गई राशि के सापेक्ष वसूल की गई राशि को सूचित नहीं किया गया था (अगस्त 2015)।

2.1.7 कर वापसी के प्रकरण

वर्ष 2014-15 के प्रारम्भ में लंबित कर वापसी के प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकार कर वापसी एवं वर्ष 2014-15 के अन्त में लम्बित प्रकरण, जैसे कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा सूचित किया गया, तालिका 2.1.7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.1.7 कर वापसी प्रकरण का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर	
		मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	735	2,011.53
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	7,138	8,434.62
3.	वर्ष के दौरान की गई वापसी	7,191	8,154.11
4.	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	682	2,292.04

स्रोत: सम्बन्धित राज्य विभाग

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम (उ मू व क अ), 2005 ब्याज का भुगतान प्रति माह एक प्रतिशत की दर से प्रदान करता है। पर यदि आदेश जारी होने की दिनांक से 90 दिनों के भीतर अतिरिक्त धनराशि डीलर को वापस नहीं की जाती है और इसके बाद जब तक पुनर्भुगतान नहीं हो

जाता प्रति माह 1.5 (डेढ़) प्रतिशत की दर से भुगतान की व्यवस्था है। ब्याज दायित्व को अनदेखा करने के लिए, राज्य सरकार को पुनर्भुगतान दावों के निस्तारण के प्रयास समय रहते करने चाहिए।

2.1.8 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) (म ले), उत्तराखण्ड निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार, लेन-देनों की नमूना जांच तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करने हेतु सम्बद्ध सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण सम्पादित करते हैं। इन निरीक्षणों के आधार पर निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र) तैयार किये जाते हैं, जिसमें निरीक्षण के समय पायी गयी तथा स्थल पर ही निस्तारित न की गई, अनियमितताएँ सम्मिलित होती हैं, जो निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को निर्गत की जाती हैं एवं उसकी प्रतियाँ अगले उच्च प्राधिकारियों को शीघ्र सुधार की कार्रवाई हेतु भेजी जाती हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार से अपेक्षा की जाती है कि नि प्र में सम्मिलित टिप्पणियों का अनुपालन शीघ्रता से सुनिश्चित करके त्रुटियों एवं चूकों का सुधार समुचित रूप से करें एवं अनुपालन आख्या म ले को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के चार सप्ताह के अन्दर भेजें। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं लेखापरीक्षा प्रस्तर के माध्यम से विभागाध्यक्षों/सरकार के संज्ञान में लायी जाती हैं।

जून 2015 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों में देखा गया कि 922 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹ 188.66 करोड़ के 1,985 प्रस्तर जून 2015 तक बकाया थे तथा इनके साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुसूची आँकड़े तालिका 2.1.8 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 2.1.8 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2013	जून 2014	जून 2015
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	919	891	922
बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	1,936	1,944	1,985
अन्तर्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	178.58	173.54	188.66

2.1.8.1 30 जून 2015 को विभागवार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण व बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों एवं इनमें अन्तर्निहित धनराशि का विवरण तालिका 2.1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.9

विभागवार निरीक्षण प्रतिवेदन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्ति की प्रकृति	बकाया प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	अन्तर्निहित धनराशि
1.	वित्त	बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं सुख-साधन कर	445	1,131	111.75
		मनोरंजन कर	10	15	0.15
2.	आबकारी	राज्य आबकारी	67	114	29.58
3.	परिवहन	मोटरयानों पर कर	103	266	35.63
4.	स्टाम्प एवं निबंधन	स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क	297	459	11.55
योग			922	1,985	188.66

जुलाई 2014 से जून 2015 तक जारी 74 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 66 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को निर्धारित समय के अन्दर कार्यालय प्रमुखों के प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए। उत्तर प्राप्त न होने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का बड़ी मात्रा में बकाया रहना इंगित करता है कि कार्यालयाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों द्वारा नि प्र में म ले द्वारा दर्शायी गयी कमियाँ, चूकों एवं

अनियमितताओं को दूर करने हेतु त्वरित कार्यवाही नहीं की गई थी।

सरकार, लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्र एवं उचित प्रतिक्रिया हेतु एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर सकती है।

2.1.8.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने नि प्र में प्रस्तरों एवं नि प्र के निस्तारण की प्रगति की निगरानी एवं शीघ्र निपटारे हेतु लेखापरीक्षा समिति गठित की है। वर्ष 2014-15 के दौरान दो विभागों की आडिट कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें ₹0.19 करोड़ से सम्बन्धित 31 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया जिसका विवरण तालिका 2.1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.10

विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	निस्तारित प्रस्तरों की संख्या	धनराशि
1.	मनोरंजन कर	01	06	0.05
2.	मोटरवाहन कर	01	25	0.14
	योग	02	31	0.19

2.1.8.3 प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों के सम्बन्ध में विभाग का उत्तर

प्रलेख लेखापरीक्षा प्रस्तर को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित किया जाता है, जिन्हें सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनका ध्यान लेखापरीक्षा आपत्तियों की ओर आकर्षित करते हुये उनके उत्तर छः सप्ताह के भीतर भेजने के निवेदन के साथ म ले द्वारा अग्रसारित किया जाता है। विभाग/शासन से उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में इस तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के ऐसे प्रस्तरों के अन्त में नित्य उल्लिखित कर दिया जाता है।

एक² विषयक लेखापरीक्षा एवं आठ³ प्रलेख प्रस्तरों को फरवरी 2015 से जुलाई 2015 के मध्य सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को नाम से प्रेषित किया गया था। आठ प्रलेख प्रस्तरों में से दो प्रकरणों में विभाग द्वारा वसूली की जा चुकी थी। प्रलेख प्रस्तरों के मामले में, प्रकरण शासन को सूचित किये गये थे, परन्तु उक्त के उत्तर प्राप्त नहीं हुये (दिसम्बर 2015)। उसे शासन की प्रतिक्रिया के बिना इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है। तथापि, इन प्रलेख प्रस्तरों के सम्बन्ध में सम्बन्धित लेखापरीक्षिती इकाईयों की प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई है तथा इन्हें उचित प्रकार से प्रस्तरों में शामिल कर लिया गया है।

2.1.8.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विभाग की अनुवर्ती कार्यवाही - संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति, जिसे दिसम्बर 2002 में अधिसूचित किया गया, की आन्तरिक कार्यप्रणाली के अनुसार भारत के नि म ले प के प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किये जाने पर विभाग लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर कार्यवाही प्रारम्भ करते हैं तथा उस पर शासन द्वारा कृत

² राजस्व विभाग में प्रकरणों का लम्बित रहना।

³ वाणिज्य कर विभाग।

कार्यवाही/व्याख्यात्मक टिप्पणी को प्रतिवेदन के पटल पर रखने के तीन माह के भीतर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। इन प्रावधानों के बावजूद, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों को असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत किया जाता रहा है। वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित 23 प्रस्तरों (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) को, 2009 से 2015 तक के वर्षों में राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रत्येक मामले में इन प्रस्तरों पर सम्बन्धित विभाग से कृत कार्यवाही की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ औसतन 25 माह के विलम्ब से प्राप्त हुई थीं। 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए दो विभागों⁴ से तीन प्रस्तरों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 2015)। वर्ष 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष 03 नवम्बर, 2015 को प्रस्तुत किया गया तथा कृत कार्यवाही की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी तक अप्राप्त हैं (दिसम्बर, 2015)।

लोक लेखा समिति द्वारा वर्ष 2008 से 2013 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित पाँच चयनित प्रस्तरों पर चर्चा की गयी थी। तथापि, सम्बन्धित विभाग से लोक लेखा समिति की एक अनुशंसा पर कृत कार्यवाही की टिप्पणियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, जैसा कि तालिका 2.1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.11

वर्ष	विभाग का नाम	प्रस्तर विवरण	योग	अभ्युक्तियाँ
2010-11	मोटरवाहन विभाग	5.2 "मोटरवाहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा (5.2.30 औद्योगिक बसों पर अतिरिक्त कर का अनारोपण)	01	दिनांक 24.02.2014 को निस्तारित, लेकिन लोक लेखा समिति की एक अनुशंसा के सम्बन्ध में कृत कार्रवाई की टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

2.1.9 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दों का निपटारा करने वाले तन्त्र का विश्लेषण

विभागों/शासन द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य मुद्दों को सम्बोधित करने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु, वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित विगत पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रस्तरों एवं निष्पादन लेखापरीक्षा पर कृत कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया तथा इसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

अनुवर्ती प्रस्तर 2.1.9.1 में राजस्व शीर्ष "0040" के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग का निष्पादन तथा विगत पाँच वर्षों में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पकड़े गये मामले एवं 2010-11 से 2014-15 तक के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामले भी विवेचित किये गये हैं।

2.1.9.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

विगत पाँच वर्षों में जारी वाणिज्य कर विभाग से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदनों का संक्षिप्त विवरण, प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों एवं उनकी 31 मार्च, 2015 की स्थिति तालिका 2.1.12 में दर्शायी गयी है।

⁴ वाणिज्य कर विभाग, स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग।

तालिका 2.1.12
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के दौरान अन्तिम अवशेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	प्रस्तर	धनराशि
2010-11	312	751	50.01	54	158	89.37	6	32	0.70	360	877	138.68
2011-12	360	877	138.68	54	192	8.56	12	46	65.94	402	1,023	81.30
2012-13	402	1,023	81.30	37	151	23.79	27	78	11.20	412	1,096	93.89
2013-14	412	1,096	93.89	35	140	21.26	36	156	10.38	411	1,080	104.77
2014-15	411	1,080	104.77	44	135	8.83	17	100	13.12	438	1,115	100.48

शासन पुराने प्रस्तरों के निस्तारण हेतु विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय के साथ तदर्थ समिति की बैठकों का आयोजन करता है। वर्ष 2010-11 के प्रारम्भ में 312 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सापेक्ष 751 लम्बित प्रस्तरों की संख्या, वर्ष 2014-15 के अन्त में बढ़कर 438 लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों के सापेक्ष 1,115 प्रस्तर हो गये थे, जबकि 2010-11 से 2014-15 की अवधि में मात्र 412 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया था।

2.1.10 विभागों/ शासन द्वारा स्वीकार की गयी अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा संचालित निष्पादन लेखापरीक्षाओं को सम्बन्धित विभाग/शासन को उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ सूचनार्थ अग्रेषित किया जाता है। इन पर समापन सम्मेलन में भी चर्चा की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों हेतु समीक्षा को अन्तिम रूप देते समय विभाग/शासन की राय को सम्मिलित किया जाता है।

वाणिज्य कर विभाग पर चार निष्पादन लेखापरीक्षा (नि ले) तथा परिवहन विभाग पर एक नि ले तथा उप खनिज विभाग पर एक नि ले को विगत चार वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था। नि ले में कुल 28 अनुशंसाओं को शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाही टिप्पणी का विवरण तालिका 2.1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1.13

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	स्थिति
2008-09	केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में संव्यवहारों (क्रय/विक्रय तथा अन्तरण) पर कराधान (नि ले)	05	दिनांक 19.09.2013 को प्राप्त कृत कार्यवाही टिप्पणी चर्चा हेतु लम्बित।
2009-10	बिक्री कर से मूल्यवर्धित कर के लिये पारगमन (नि ले)	08	दिनांक 07.08.2014 को प्राप्त कृत कार्यवाही टिप्पणी चर्चा हेतु लम्बित।
2010-11	अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों का प्रतिसत्यापन (नि ले)	08	अप्राप्त कृत कार्यवाही टिप्पणी।
2011-12	मूल्यवर्धित कर का प्रशासन (नि ले)	07	अप्राप्त कृत कार्यवाही टिप्पणी।
2013-14	मोटरवाहन कर पर करों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण (नि ले)	03	अप्राप्त कृत कार्यवाही टिप्पणी।
	उप-खनिजों से प्राप्ति	02	

2.1.11 लेखापरीक्षा आयोजना

वर्ष 2014-15 के दौरान, कुल 233 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ थी, उनमें से 99 इकाईयों की लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की गयी थी तथा 100 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गयी जिसमें से दो इकाईयाँ आरक्षित इकाईयों से ली गई थी।

उक्त उल्लिखित अनुपालन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, एक विषयक लेखापरीक्षा "राजस्व विभाग के लम्बित प्रकरण" को भी राजस्व विभाग में भू-राजस्व प्रकरणों के प्रबंधन हेतु उपलब्ध प्रणाली की क्षमता के निरीक्षण हेतु लिया गया।

2.1.12 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2014-15 के दौरान पाँच विभागों की 100 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि 171 मामलों में कुल ₹ 10.27 करोड़ का अवनिर्धारण/न्यूनारोपण/राजस्व हानि हुई। वर्ष के दौरान, सम्बन्धित विभाग ने वर्ष 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किये गये 24 प्रकरणों में सम्मिलित ₹ 0.45 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभाग ने वर्ष 2014-15 के दौरान 58 प्रकरणों में ₹ 0.40 करोड़ वसूल किए, जिसमें से चालू वर्ष के लेखापरीक्षा निष्कर्ष से सम्बन्धित तीन प्रकरणों में ₹ 0.004 करोड़ तथा शेष विगत वर्ष के हैं।

2.1.13 राजस्व अध्याय की व्याप्ति

राजस्व अध्याय में एक विषयक लेखापरीक्षा "राजस्व विभाग के लम्बित प्रकरण" सहित सात प्रस्तर, सम्मिलित है, जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 2.47 करोड़ है। विभागों/शासन ने चार प्रकरणों में ₹ 1.59 करोड़ धनराशि की लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया है जिसमें से एक प्रकरण में ₹ 0.04 करोड़ की वसूली भी की गयी है। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी चर्चा आगे के प्रस्तरों में की गयी है।

⁵ वाणिज्य कर विभाग, राज्य आबकारी विभाग, मोटरवाहन विभाग, स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग तथा मनोरंजन कर विभाग।

अनुपालन लेखापरीक्षा

वाणिज्य कर विभाग

2.2 मूल्यवर्धित कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का न्यूनारोपण

कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.08 लाख के कर के न्यूनारोपण के अतिरिक्त ₹ 3.98 लाख का ब्याज भी देय हुआ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम (उ मू व क अ) 2005 की धारा- 4 (2) (ख) में प्रावधान है कि अनुसूची-II (क) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में एक प्रतिशत की दर से, अनुसूची-II (ख) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में चार प्रतिशत की दर से, अनुसूची-II (ग) में निनिर्दिष्ट माल के संबंध में उसमें विनिर्दिष्ट दर से तथा किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं अर्थात् अवर्गीकृत वस्तु के संबंध में 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय होगा। पुनः उ मू व क अ, 2005 की धारा 34 (4) में प्रावधान है कि स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा। ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

पुनः विभाग के स्पष्टीकरण (जनवरी 2012) के अनुसार उ मू व क अ, 2005 की धारा- 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (i) (घ) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आयरन स्क्रेप से भिन्न स्क्रेप पर कर अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति 13.5 प्रतिशत की दर (2008-09 में 12.5 प्रतिशत था) से देय है।

डिप्टी कमिश्नर (क नि)-I, वाणिज्य कर काशीपुर ऊधमसिंह नगर के अभिलेखों की जांच (नवम्बर 2013) में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक व्यापारी⁶ के वर्ष 2008-09 के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय अनुसूची-II (ख) में विनिर्दिष्ट माल पर लागू दर से ₹ 48.07 लाख की आयरन स्क्रेप से भिन्न स्क्रेप की बिक्री पर चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया, जबकि आयरन स्क्रेप से भिन्न स्क्रेप की बिक्री पर अवर्गीकृत माल की बिक्री होने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किये जाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, कर की गलत दर लागू करने के फलस्वरूप 8.5 प्रतिशत की अन्तरीय दर से ₹ 4.08 लाख के कर का न्यूनारोपण के अतिरिक्त ₹ 3.98 लाख⁷ ब्याज भी देय है।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये मामले का पुनः करनिर्धारण किया (नवम्बर 2014) तथा ₹ 4.08 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की तथा करदाता ने अपील दायर की (अप्रैल 2015) जो कि अभी तक अनिर्णित है (नवम्बर 2015)।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (फरवरी 2015), शासन का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2015)।

⁶ मैसर्स जिन्दल स्क्रेप ट्रेडर्स, काशीपुर।

⁷ ब्याज: (01.10.2008 से 31.03.2015 तक = 78 माह) : ₹ 4.08 लाख x 15 x 78/12 x 100 = ₹ 3.98 लाख।

2.3 प्रपत्र - 11 का अनाधिकृत उपयोग

अनाधिकृत घोषणा प्रपत्र - 11 के विरुद्ध रियायती दर से शीरे की खरीद एवं करमुक्त देशी शराब का उत्पादन एवं बिक्री के परिणामस्वरूप ₹ 16.85 लाख की राजस्व क्षति के अतिरिक्त ₹ 59.47 लाख का अर्थदण्ड भी देय था।

उ मू व क अ 2005 की धारा 4 (7) (ख) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यापारी को उपधारा (क) में निर्दिष्ट कोई माल किसी कर योग्य माल का प्रदेश में विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए या उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत ऐसे माल की पैकिंग में प्रयोग के लिए अपेक्षित हो और उसका ऐसे माल को राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत से बाहर निर्यात करने के दौरान बेचने का अभिप्राय हो तो वह कर निर्धारक प्राधिकारी को ऐसे प्रपत्र और ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए, इसकी बाबत मान्यता प्रमाण पत्र दिये जाने के लिए आवेदन कर सकता है और यदि आवेदक विलम्ब शुल्क जमा करने की अपेक्षा को सम्मिलित करते हुए सभी अपेक्षाओं और शर्तों को जो की विहित की जायें पूरा करता हो तो कर निर्धारक प्राधिकारी ऐसे माल के संबंध में व्यापारी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाये, मान्यता प्रमाण पत्र देगा।

पुनः उ मू व क अ 2005 की धारा 58(i)(xxix) में प्रावधान है कि यदि कोई क्रेता झूठा या गलत घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र जारी करता है, या देता है जिसके कारण इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत विक्रय या क्रय पर कर न लग सके तो अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो अर्थदण्ड के रूप में आरोपणीय होगी। इस अधिनियम की धारा 63 में प्रावधान है कि इस अधिनियम में अन्यत्र दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और धारा 58 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध के अधीन विहित कोई ऐसा मिथ्या या गलत प्रमाण पत्र या घोषणापत्र किसी अन्य व्यक्ति को जारी करे, जिसके कारण ऐसे अन्य व्यक्ति को साथ या उसके द्वारा किये गये क्रय या विक्रय के संव्यवहार पर इस अधिनियम के अधीन कोई कर आरोपणीय नहीं रह जाता है या रियायती दर पर आरोपणीय हो जाता है, तो वह ऐसे संव्यवहार पर ऐसी धनराशि का दायी होगा जो ऐसे संव्यवहार पर देय होती, यदि ऐसा प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र जारी न किया गया होता।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)- VI वाणिज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसम्बर 2013) में पाया गया कि क्रेता⁸ द्वारा (कर निर्धारण नवम्बर 2012) में कर निर्धारण वर्ष 2008-09 में शीरा की खरीद ₹ 99.11 लाख पर रियायत दर से खरीद का लाभ अनुमन्य हेतु 26 प्रपत्र-11 विक्रेता⁹ को जारी किये गये थे। तत्पश्चात क्रेता द्वारा शीरा से ₹ 21.37 करोड़ की कर मुक्त देशी शराब का उत्पादन तथा बिक्री की गयी थी। अधिनियम के अनुसार कर योग्य वस्तु का उत्पादन करने वाली निर्माता इकाई को ही प्रपत्र- 11 के सापेक्ष की गयी खरीद पर रियायती दर का

⁸ दून वैली डिस्टीलर्स, कुआँवाला, देहरादून।

⁹ डोईवाला शुगर कम्पनी लि.।

लाभ अनुमन्य है। इस प्रकरण में मूल्यवर्धित कर में रियायती दर अनुमन्य किया जाना अनियमित था। इस प्रकार रियायती दर से शीरे की खरीद पर अनाधिकृत रूप से प्रपत्र- 11 प्रयोग कर करमुक्त देशी शराब के उत्पादन व बिक्री करने के परिणाम स्वरूप ₹ 59.47 लाख¹⁰ का अर्थदण्ड तथा ₹ 16.85 लाख¹¹ की राजस्व क्षति हुई।

यह इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा (मार्च, 2014) तथ्यों को स्वीकार करते हुए, प्रकरण का पुनः निर्धारण कर (अप्रैल 2014) अर्थदण्ड ₹ 59.47 लाख सहित ₹ 76.32 लाख की मांग सृजित की गयी। विभाग द्वारा (फरवरी 2015) सूचित किया गया कि व्यापारी द्वारा संयुक्त कमिश्नर (अपील) के समक्ष प्रकरण के पुनः निर्धारण के विरुद्ध अपील दायर की गयी (जुलाई 2014)। जिसका निर्णय अपेक्षित है (नवम्बर 2015)।

प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया (फरवरी 2015)। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

2.4 अर्थदण्ड का अनारोपण

इनपुट टैक्स के लाभ का गलत दावा करने पर ₹ 3.25 लाख के अर्थदण्ड का अनारोपण।

उ मू व क अ 2005 की धारा 58(1) (xi) के अनुसार अगर कोई व्यापारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है या किसी मिथ्या बिक्री बीजक के आधार पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा करता है, तो ₹ 5,000 या दावाकृत धनराशि का तीन गुना धनराशि जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (कर निर्धारण) खण्ड II, वाणिज्य कर विभाग, रुद्रपुर के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी, 2014) में पाया गया कि एक व्यापारी¹² द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 35.47 लाख की खरीद¹³ पर चार प्रतिशत की दर से इनपुट टैक्स के लाभ का दावा किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विक्रेता व्यापारी से सत्यापित कराने पर पाया गया (सितम्बर 2012) कि व्यापारी द्वारा ₹ 27.05 लाख की खरीद पर इनपुट टैक्स के लाभ का दावा गलत किया गया था और गलत दावाकृत ₹ 1.08 लाख के इनपुट टैक्स के लाभ अनुमन्य नहीं किये गये, किन्तु विभाग द्वारा उ मू व क अ 2005 की धारा 58 (1) (xi) के अनुसार ₹ 3.25 लाख का अर्थदण्ड व्यापारी पर आरोपित नहीं किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमन्य न की गयी धनराशि व्यापारी द्वारा जमा कर दी गयी।

यह इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा (मई, 2015) लेखपरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये मामले का पुनः निर्धारण कर ₹ 3.25 लाख की मांग सृजित की गयी थी। करदाता द्वारा संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गयी। निर्णय अभी भी लंबित है (नवम्बर 2015)।

प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया (मार्च 2015)। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर, 2015)।

¹⁰ अर्थदण्ड = आरोपणीय कर का तीन गुना = 3 x ₹ 19,82,235.20 (₹ 99,11,176 का 20 प्रतिशत) = ₹ 59,46,705.60।

¹¹ राजस्व क्षति ₹ 99,11,176 x 17 प्रतिशत = ₹ 16,84,899.92।

¹² गौरव मदान एण्ड सन्स, मेन रोड, गदरपुर, उधमसिंह नगर।

¹³ स्टोन एण्ड स्टोन चिप्स।

2.5 कर के विलम्बित भुगतान पर ₹ 5.81 लाख अर्थदण्ड का अनारोपण

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा देय कर विहित समय के भीतर भुगतान करने में विफल होने के बावजूद कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ₹ 5.81 लाख अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

उ मू व क अ, 2005 की धारा 58 (1) (vii) (ख) में प्रावधान है कि यदि कर निर्धारक प्राधिकारी को यह समाधान हो जाये कि किसी व्यापारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो ऐसा व्यापारी उसके द्वारा देय कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक 25 प्रतिशत यदि कर दस हजार रुपये तक हो और देय कर का 50 प्रतिशत यदि कर दस हजार रुपये से अधिक हो, धनराशि का भुगतान करने का दायी होगा।

पुनः एक प्रकरण¹⁴ में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड ने निर्णय दिया है कि ऐसे व्यापारी पर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा जो देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा करने में असफल रहता है यद्यपि व्यापारी ने विलम्बित अवधि के लिए ब्याज के साथ देय कर जमा कर दिया हो।

दो वाणिज्य कर इकाईयों¹⁵ के अभिलेखों की जांच (दिसम्बर व जनवरी 2014) में पाया गया कि तीन व्यापारियों¹⁶ ने अपना देय कर देय तिथि के पश्चात 10 से 200 दिन विलम्ब से जमा किया। यद्यपि व्यापारियों का कर निर्धारण मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25 (7) के अन्तर्गत किया गया था, संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारी ने विलम्ब से देय कर ब्याज सहित जमा करने हेतु नोटिस जारी किया। तथापि अर्थदण्ड हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया। इस प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी को धारा 58 (1) (vii) (ख) के अनुसार कर के विलम्ब से जमा करने पर कम से कम 10 प्रतिशत तथा अधिक से अधिक 50 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपित करने का विवेकाधिकार है। कर निर्धारण प्राधिकारी के विवेकाधिकार शक्ति को ध्यान में रखते हुये कम से कम 10 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपित किया जाना था जो कि ₹ 5.81 लाख आंकलित किया गया था। इस प्रकार विभाग ने न केवल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया बल्कि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को भी नजरअन्दाज किया।

इसे इंगित किये जाने पर संबंधित प्राधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुये ₹ 5.81 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की (अप्रैल 2014 एवं फरवरी 2015)। जिसमें से ₹ 4.20 लाख वसूल की जा चुकी है (जून 2014, मार्च 2015)।

प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया (मई 2015), उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

¹⁴ आनन्द निशिकावा कम्पनी बनाम आयुक्त, व्यापार कर रिवीजन सं 16/2005 और 17/2005 दिनांक 18.06.2007।

¹⁵ सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड-VIII वाणिज्य कर, देहरादून उपायुक्त - (क.नि.) II, वाणिज्य कर, हल्द्वानी।

¹⁶ सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड-VIII वाणिज्य कर, देहरादून से सम्बन्धित मैसर्स खोडे इंडिया लिमिटेड, देहरादून (कर निर्धारण वर्ष 2010-11), उपायुक्त (क.नि.) II वाणिज्य कर, हल्द्वानी से सम्बन्धित मैसर्स कुमायूँ माईन्स और मिनरल्स, भवानीगंज, हल्द्वानी (कर निर्धारण वर्ष 2008-09 से वर्ष 2009-10) और मैसर्स कविशा मोटर्स लिमिटेड, वांशीकुंज, तिकोनिया, हल्द्वानी (कर निर्धारण वर्ष 2008-09)।

2.6 कर का न्यूनारोपण

कर निर्धारण के समय, पूर्व अवधि की बिक्री के लिए जिस समय उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित अधिनियम, 2005 में धारा 4 की उपधारा (3) का खण्ड (ग) लागू नहीं था, को त्रुटिपूर्ण ढंग से लागू किये जाने के परिणामस्वरूप देय ₹ 2.15 लाख के ब्याज के अतिरिक्त 8.5 प्रतिशत की अन्तरीय दर से ₹ 2.57 लाख के कम कर का आरोपण किया गया।

उ मू व क अ, 2005 की धारा 4 (2)(ख) (i)(घ) में प्रावधान है कि यदि कोई वस्तु किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है अर्थात् अवर्गीकृत वस्तु के संबंध में 12.5 प्रतिशत की दर से कर देय है। अधिनियम की धारा-34(4) में प्रावधान है कि स्वीकृत रूप से देय कर विहित समय के भीतर जमा किया जायेगा। ऐसा करने में विफल होने पर अदत्त धनराशि पर विहित अन्तिम तारीख के ठीक अगली तारीख से ऐसी धनराशि के भुगतान की तारीख तक 15 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज देय और भुगतान योग्य होगा।

पुनः अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में अन्तर्स्थापित¹⁷ (दिनांक 07.01.2010) खण्ड (ग) में प्रावधान है कि ऐसे भाग, पुर्जे तथा सहायक उपकरण जो कि मूल अधिनियम में अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं, पर कर की वही दर होगी जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उस वस्तु पर लागू है।

असिस्टेंट कमिश्नर (क नि) खण्ड-1, वाणिज्य कर, रुद्रपुर के अभिलेखों (जनवरी 2015) की जांच में पाया गया कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक व्यापारी¹⁸ के वर्ष 2009-10 के कर निर्धारण (अप्रैल 2013) को अन्तिम रूप देते समय अनुसूची-11 (ख) में विनिर्दिष्ट माल पर लागू दर से ₹ 30.27 लाख की माइल्ड स्टील (एम एस) रैंक की बिक्री पर चार प्रतिशत की दर से (अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009) ₹ 1.21 लाख¹⁹ का कर आरोपित किया जबकि एम एस रैंक की बिक्री पर अवर्गीकृत माल की बिक्री होने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से अर्थात् ₹ 3.78 लाख²⁰ कर आरोपित किये जाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, कर निर्धारण के समय पूर्व अवधि जब खण्ड (ग) लागू नहीं था, की बिक्री पर अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) को त्रुटिपूर्ण लागू किये जाने के परिणामस्वरूप 8.5 प्रतिशत की अन्तरीय दर से ₹ 2.57 लाख²¹ के कर के न्यूनारोपण के अतिरिक्त ₹ 2.15 लाख²² का ब्याज देय है।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (जनवरी 2015) कि विचाराधीन वस्तु ट्रांसमिशन टावर का अभिन्न हिस्सा था। क्रेता व्यापारी टावर खड़ा करता है और यह एक विशेष वस्तु है जिसका उपयोग अन्यथा सम्भव नहीं है। ट्रांसमिशन टावर का अभिन्न हिस्सा होने के कारण एम एस रैंक की बिक्री पर वैट अधिनियम की धारा 4(3) (ग) के अन्तर्गत चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹ 30.27 लाख के एम एस रैंक की बिक्री पूर्व

¹⁷ अधिसूचना संख्या 22/XXXVI(3)/2010/76(1)/2009 दिनांक 07.01.2010।

¹⁸ प्रेसीटेक इनक्लोजर सिस्टम्स प्रा0लि0।

¹⁹ ₹ 30.27 लाख @ 4 प्रतिशत = ₹ 1.21 लाख।

²⁰ ₹ 30.27 लाख @ 12.5 प्रतिशत = ₹ 3.78 लाख।

²¹ कर का न्यूनारोपण: ₹ 3.78 लाख - ₹ 1.21 लाख = ₹ 2.57 लाख।

²² ब्याज ₹ 2.57 लाख x 15 प्रतिशत x 67/12 = ₹ 2.15 लाख (दिनांक 01.10.2009 से 30.04.2015 की अवधि के लिए अर्थात् 67 माहों के लिए)।

अवधि, (अप्रैल 2009 से दिसम्बर 2009) जब खण्ड (ग) लागू नहीं था, से संबंधित थी और इस प्रकार एम एस रैंक अवर्गीकृत वस्तु की भांति मानी जायेगी।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (मई 2015) उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)।

2.7 घोषणा प्रपत्र - 11 एवं प्रपत्र - सी के विरुद्ध कर का न्यूनारोपण

इस अनुच्छेद का प्रमुख केन्द्र घोषणा पत्रों प्रपत्र-11 एवं प्रपत्र-सी के विरुद्ध रियायती दर पर खरीद एवं बिक्री के कारण कर में लाभ का निरीक्षण किया जाना था। 'प्रपत्र-11 एक घोषणा प्रपत्र है जिसे व्यापारी खरीद एवं बिक्री के सापेक्ष कर में छूट में लाभ का उपभोग करते हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगे अनुच्छेद में वर्णित किया गया है।

2.7.1 स्थानीय घोषणा पत्र प्रपत्र - 11 के विरुद्ध संव्यवहार पर कर का न्यूनारोपण

उ मू व क अ 2005 के नियम 23(3) के प्रावधानों के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में जारी किया गया सादा प्रपत्र-11 उस वित्तीय वर्ष में किये गये संव्यवहार एवं उसके ठीक पूर्व के दो वित्तीय वर्ष में किये गये सम्व्यवहार के लिये वैध होगा।

डिप्टी कमिश्नर (क नि) वाणिज्य कर, विकास नगर के कर निर्धारण पत्रावली के नमूना लेखापरीक्षा जांच (फरवरी 2015) में उद्घटित हुआ कि एक व्यापारी²³ जो निर्माण गति विधियों में संलग्न था, ने चार प्रपत्र-11 जो वित्तीय वर्ष 2008-09 में जारी किये गये थे, के विरुद्ध वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 719.31 लाख के फेराइट ट्रांसफार्मर की बिक्री की। संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा क नि को अन्तिम रूप देते समय (अप्रैल 2014) दो प्रतिशत की दर से कर आरोपण किया गया जबकि इन प्रपत्रों-11 के विरुद्ध 13.5 प्रतिशत का कर आरोपणीय था। इसके, फलस्वरूप ₹ 82.73 लाख कर का न्यूनारोपण हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि जिस वित्तीय वर्ष में प्रपत्र-11 जारी किये गये उसके बाद के वर्षों में प्रपत्र-11 के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि किसी वित्तीय वर्ष में जारी किये गये सादा प्रपत्र-11 उस वित्तीय वर्ष एवं उसके ठीक पूर्व के दो वित्तीय वर्षों में संव्यवहार के लिए वैध था।

2.7.2 अवैध घोषणा पत्र प्रपत्र - सी पर कर का न्यूनारोपण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8(1), 8(3) एवं 8(4) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यापारी जो अन्तरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान एक पंजीकृत व्यापारी को अपने पंजीयन प्रमाण पत्र में वर्णित माल का विक्रय फार्म-सी के विरुद्ध करता है, वह दो प्रतिशत की दर से कर का देनदार होगा। शासनादेश संख्या 6,222, दिनांक 25 मई 2001 एवं शासनादेश संख्या 335, दिनांक 16 मार्च 2005 के अंतर्गत एक प्रतिशत की दर से कर का देनदार होगा।

दो वाणिज्य कर कार्यालयों²⁴ की अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच (मई 2015 से जून 2015) में पाया गया कि दो व्यापारियों²⁵ जो (जनवरी 2015 से मार्च 2015 के मध्य हुए क नि) निर्माण प्रक्रिया में शामिल थे, द्वारा वर्ष 2010-11 से 2011-12 के मध्य आठ घोषणा पत्रों (प्रपत्र-सी) के विरुद्ध

²³ श्री नौरमेग, सेलाकुई, विकास नगर

²⁴ डिप्टी कमिश्नर (क नि) - I, वाणिज्य कर, हरिद्वार एवमं डिप्टी कमिश्नर (क नि) - I वाणिज्य कर, रुद्रपुर।

²⁵ मैसर्स जीवल पॉलिटैक्स, सिडकुल, हरिद्वार, मैसर्स थाई सुमित नील ऑटो (प्राइवेट) लिमिटेड, रुद्रपुर।

₹ 526.46 लाख के नान वुवेन फैब्रिक्स/ ऑटो पार्ट्स की बिक्री की गयी। इन प्रपत्रों की लेखापरीक्षा द्वारा कर सूचना आदान प्रणाली बेवसाईट (TINXSYS) पर जांच की गई और यह पाया गया कि यह प्रपत्र वास्तव में क्रेता व्यापारियों को न जारी कर अन्य व्यापारियों को जारी किये गये थे। संबंधित क नि अधिकारी द्वारा कर निर्धारण करते समये (जनवरी 2015 से मार्च 2015) इन प्रपत्रों का सत्यापन नहीं कराया गया एवं 13.5 प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया। इस प्रकार क नि अधिकारी के स्तर पर क नि पूर्ण करने से पूर्व इन प्रपत्रों के सत्यापन न किये जाने के फलस्वरूप 12.5 प्रतिशत की अन्तरीय दर से इन अवैध घोषणा पत्रों पर ₹ 65.81 लाख²⁶ के कर का न्यूनारोपण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा प्रकरण की जांच किये जाने को कहा गया। प्रकरण शासन को सदभित किया गया (अगस्त 2015), उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2015)।

राजस्व विभाग

लम्बित राजस्व प्रकरण 16,108 (अप्रैल 2003) से बढ़कर 34,209 (अगस्त 2015) तक हो गये थे। लम्बित प्रकरणों पीठासीन अधिकारियों की कमी, अधिवक्ताओं की हड़ताल और बन्द/ हड़ताल, की मुख्य भूमिका रही थी।

2.8 राजस्व विभाग के लम्बित प्रकरण

2.8.1 परिचय

भूमि एक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति है, तथापि, भू राजस्व का महत्व वर्ष दर वर्ष गिर रहा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कुशल प्रशासनिक भू सम्पत्ति का रखरखाव अभी भी सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ग्रामीण समुदाय के लिए मुख्य है। भू राजस्व प्रशासन और भू- राजस्व प्रकरणों के अधिनिर्णय इस पर महत्व रखते हैं। राजस्व प्रशासन, जिला प्रशासन का एक मुख्य कार्य होता है। राजस्व प्रशासन की शक्तियां, राजस्व अधिनियमों/ संहिताओं, टेनेंसी अधिनियम, लैंड सीलिंग एक्ट और राज्य सरकारों की विधियों में हैं। राजस्व न्यायालयों में राजस्व अधिकारी के रूप में कलेक्टर, एसडीएम, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार को न्यायिक क्षमता (अकेले राजस्व भूमि से सम्बन्धित) के रूप में कार्यकारी क्षमता है। राजस्व न्यायालयों के क्षेत्राधिकार, राजस्व अधिकारियों के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के साथ सम्बद्ध होते हैं। राजस्व न्यायालयों को प्रत्येक घटक का क्षेत्राधिकार, भू-राजस्व और सम्बन्धित कानूनों में परिभाषित किया गया है। राजस्व न्यायालय जिन प्रकार के प्रकरणों को देखते हैं उसमें कृषि भूमि से संबंधित प्रकरण और राज्य राजस्व एक्ट से संबंधित मामले आते हैं, टेनेंसी एक्ट और सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गये नियम अपनाये जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, कुछ प्रकरण जैसे जामाबन्दी में समझौता, बंटवारे के प्रकरण, भू-राजस्व के इन्द्राज में सुधार, भूमि के प्राधिकार से संबंधित विवाद, खातेदारी के लिए घोषणात्मक मुकदमा, अदालती हुक्म का पालन करना आदि आते हैं। राजस्व न्यायालय अपना कार्य बड़े स्तर पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुरूप ही करता है। उत्तराखण्ड में राजस्व विभाग की सबसे बड़ी न्यायिक निकाय, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जिसका

²⁶ ₹ 526.46 लाख x 12.5 प्रतिशत = ₹ 65.81 लाख।

प्रमुख बोर्ड का अध्यक्ष (मुख्य राजस्व आयुक्त) होता है। इसका उद्देश्य राजस्व विभाग के सभी न्यायिक एवं प्रशासकीय कार्यों पर नियन्त्रण, उन्नयन एवं नियमित करना होना है। राजस्व प्रकरणों के निस्तारण हेतु राज्य में दो सर्किट न्यायालय पौड़ी एवं नैनीताल में एवं 234 राजस्व न्यायालय²⁷ कार्यरत है। अप्रैल 2015 से जून 2015 के मध्य, राजस्व न्यायालय के बोर्ड, कुमायूँ और गढ़वाल आयुक्त के न्यायलयों, चार जिला जज न्यायलयों और दो उप मजिस्ट्रेट कोर्ट की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की गई जो विभाग द्वारा अनिस्तारित राजस्व प्रकरणों को निपटाने में अपनाई जा रही खामियों पर केन्द्रित थी, जिसमें अप्रैल 2012 से मार्च 2015 के अभिलेखों की जाँच की गई। लेखापरीक्षा आपत्तियाँ निम्न हैं:-

2.8.2 राज्य में राजस्व वादों का लम्बित रहना

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अभिलेखों से यह प्रदर्शित हुआ कि राजस्व प्रकरण विभिन्न स्तरों²⁸ पर लम्बित थे, जिनकी संख्या अप्रैल, 2003 में 16,108 प्रकरणों से बढ़कर मार्च 2015 में 35,687 प्रकरण²⁹ हो गई, (जैसा कि **परिशिष्ट 2.8.1** में दर्शाया गया है)। तथापि, अगस्त 2015 में 34,209 प्रकरण थे। इनमें से 78.72 प्रतिशत प्रकरण, राज्य के मात्र चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल में लम्बित थे। छः माह से अधिक पुराने लम्बित राजस्व प्रकरणों का विस्तृत अवधिवार विश्लेषण। नीचे **तालिका 2.8.1** में दिया गया है।

तालिका - 2.8.1 : लम्बित राजस्व प्रकरणों का अवधिवार विश्लेषण 31.08.15 तक की स्थिति के अनुसार

न्यायालय	छः माह से अधिक एवं एक वर्ष से कम	1 से 3 वर्ष तक लम्बित प्रकरण	3 से 9 वर्ष तक लम्बित प्रकरण	9 से 15 वर्ष तक लम्बित प्रकरण	15 वर्ष से अधिक
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू	840	258	322	14	0
आयुक्त, गढ़वाल	955	0	1,183	49	35
आयुक्त, कुमायूँ	72	0	476	3	0
13 जनपद, न्यायालय	7,318	173	5,439	85	4
योग	9,185	431	7,420	151	39

स्रोत: बोर्ड ऑफ रेवेन्यू

उपरोक्त अवधिवार विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 34,209 लम्बित राजस्व प्रकरणों में से 17,226 प्रकरण (50 प्रतिशत) जो कि छः माह से 15 वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे। इनमें से 53 प्रतिशत राजस्व प्रकरण छः माह से अधिक लेकिन एक साल से कम समय से लम्बित थे। इसके अतिरिक्त, 44 प्रतिशत प्रकरण 3 वर्ष से 15 वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे। ये लम्बित प्रकरण राज्य की प्रणाली की कमियों को प्रदर्शित करते हैं।

²⁷ जनपद के 225 न्यायालय और 9 आयुक्त और अपर आयुक्त न्यायालय।

²⁸ तहसील, जनपद, रेवेन्यू बोर्ड।

²⁹ 932 प्रकरण, बोर्ड आफ रेवेन्यू में लम्बित, गढ़वाल मण्डल में 23,412 राजस्व प्रकरण लम्बित और कुमायूँ मण्डल में 11,343 राजस्व प्रकरण लम्बित।

2.8.3 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण

लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने (सितम्बर 2012) कुल दर्ज प्रकरणों के लगभग 150 प्रतिशत का लक्ष्य³⁰ निर्धारित किया। अभिलेख दर्शाते हैं कि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि लगभग 50 प्रतिशत कम रही।

राजस्व प्रकरणों के लम्बित रहने के आसन्न कारणों को पता करने के क्रम में देहरादून³¹ एवं अल्मोड़ा³² जनपदों के राजस्व प्रकरणों से सम्बन्धित विगत तीन वर्षों में निर्धारित 125 फाइलों की जांच की गयी। चयनित न्यायालयों द्वारा प्रकरणों के निस्तारण हेतु लिया गया औसत समय का विवरण तालिका 2.8.2 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.8.2 : राजस्व न्यायालयों द्वारा लिया गया औसत समय

(माह में)

जनपद	वादों के निस्तारण हेतु लिया गया औसत समय		
	डी एम कोर्टस	एस डी एम कोर्टस	तहसील कोर्टस
देहरादून	69	20	14
अल्मोड़ा	13	22	5

इन प्रकरणों की जांच में पाया गया कि याचिकाकर्ता को न्याय पाने के लिए अपने यहां से न्यायालय कई बार जाना पड़ा, जिससे उसे काफी समय तक मानसिक उत्पीड़ना झेलनी पड़ी। कुल मिलाकर, वादियों और न्यायालयों दोनों के समय की बर्बादी हुई। पुनश्चः, यह पाया गया कि राजस्व न्यायालय में मामलों के लम्बित रहने के कई कारण थे जिन्हें अनुवर्ती प्रस्तर में वर्णित किया गया है (कृपया प्रस्तर 2.8.4 से 2.8.6 देखें) तथ्यों को विभाग द्वारा भी स्वीकार किया गया।

2.8.4 अधिवक्ताओं की हड़ताल/ बन्द

लम्बित राजस्व प्रकरणों को कम करने के लिए उत्तराखण्ड उच्चन्यायालय, नैनीताल ने सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित (नवम्बर 2014) किया कि “अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए”। राजस्व बोर्ड ने भी निर्देशित किया कि सम्बन्धित आयुक्त एवं जिलाधिकारियों अधिवक्ताओं के एसोसिएशन के साथ सामंजस्य स्थापित कर यह सुनिश्चित करें कि राजस्व न्यायालय के कार्य बाधित न हों और बैठकों की संख्या अधिकतम हो।

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि राजस्व न्यायालय की सुनवाई में देरी का कारण अधिवक्ताओं द्वारा बार-बार हड़ताल किया जाना था। पुनश्चः, अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि में अधिवक्ताओं की हड़ताल एवं अन्य विभिन्न कारणों³³ से मुख्य राजस्व आयुक्त, न्यायालय एवं आयुक्त न्यायालय, कुमायूँ में क्रमशः 213 दिन एवं 176 दिन की न्यायिक कार्यबंदी थी। जैसा कि तालिका 2.8.3 में दर्शाया गया है।

³⁰ वर्ष के दौरान कुल दाखिल प्रकरण और विगत लम्बित प्रकरणों का 50 प्रतिशत।

³¹ देहरादून- डी एम कोर्ट, दो एस डी एम कोर्टस और तीन तहसील कोर्टस।

³² अल्मोड़ा- डी एम कोर्ट, आठ एस डी एम कोर्टस और नौ तहसील कोर्टस।

³³ कर्मियों के द्वारा बन्दी/हड़ताल/कार्य स्थगन।

तालिका-2.8.3: वर्ष वार अलग-अलग दिवसों का विवरण जिमें राजस्व न्यायालय वर्ष 2012-15 की अवधि के दौरान बन्द थे।

(दिनों में)

वर्ष	बोर्ड आफ रिवन्यु (मुख्य राजस्व आयुक्त)	कुमायूँ आयुक्त न्यायालय
2012-13	80	21
2013-14	92	74
2014-15	41	81
योग	213	176

यह भी पाया गया था कि अप्रैल 2012 से मार्च 2015 तक की अवधि में जनपद पिथौरागढ़ के राजस्व न्यायालय में हड़ताल के कारण एक वर्ष में औसत कार्य दिवस 103 दिनों के सापेक्ष औसतन 58 दिन ही न्यायिक कार्य सम्पादित किया जा सका। न्यायिक प्रकरणों के निपटान हेतु 150 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष ने तथ्यों को स्वीकार किया।

2.8.5 पीठासीन अधिकारियों की कमी

राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों³⁴ की जिम्मेदारी होती है, तथापि, जांच में पाया गया कि तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के स्वीकृत 106 एवं 135 पदों के सापेक्ष क्रमशः 50 एवं 76 पदों पर ही लोग कार्यरत पाये गये। इसके अतिरिक्त, अपर जिला मजिस्ट्रेट के 14 स्वीकृत पदों के सापेक्ष चार पद रिक्त थे। पीठासीन अधिकारियों की कमी के कारण राजस्व अदालतों में न्यायिक प्रकरण लम्बित थे।

2.8.6 राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण

मुख्य सचिव द्वारा सभी आयुक्तों एवं जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देशित (जनवरी, 2013) किया गया था कि राजस्व न्यायालयों का वार्षिक निरीक्षण करें। यह भी निर्देशित किया गया था कि न्यायालयों के वार्षिक निरीक्षण के दौरान वह राजस्व मामलों, सरकारी बकाया की वसूली, बन्दोबस्त एवं चकबन्दी से संबंधित लम्बित प्रकरणों के सत्यापन की समीक्षा करेंगे।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा बार-बार जारी निर्देशों के बावजूद अधिकारियों द्वारा अदालतों का निरीक्षण नियमित रूप से नहीं किया जा रहा था। तथापि, अध्यक्ष राजस्व बोर्ड द्वारा वर्ष 2012-15 के दौरान विगत तीन वर्षों में चार बार न्यायालयों का निरीक्षण किया गया था। अध्यक्ष के निरीक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित था कि "अधिकारियों द्वारा न्यायिक कार्यों में रुचि न लेना और न्यायिक कार्यों से सम्बन्धित नियमों एवं विनियमों आदि से सम्बन्धित ज्ञान की कमी होना पाया गया था"। इस सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय में लम्बित प्रकरणों में कमी लाने हेतु दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे। इसके बावजूद भी राजस्व न्यायालयों द्वारा लम्बित प्रकरणों को कम करने हेतु अध्यक्ष के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। तथ्यों को स्वीकार करते हुए अध्यक्ष राजस्व बोर्ड ने पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया कि भू-राजस्व प्रकरणों के लम्बित प्रकरणों को कम करने के लिए सामान्य रूप से संचालित न्यायालयों को और अधिक दिनों तक संचालित किया जाना सुनिश्चित करें।

³⁴ बोर्ड के चेयरमैन, कमिश्नरों, अपर आयुक्तों, डी.एम., ए.डी.एम., एस.डी.एम., तहसीलदार और नायब तहसीलदार।

2.8.7 लोक अदालत

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुसार राज्य विधिक प्राधिकारियों को लम्बित प्रकरणों के त्वरित निपटान के लिए एक लोक अदालत का गठन किया जाना था जिसमें विभिन्न विषयों के मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु सम्बन्धित न्यायालयों में मासिक लोक अदालत का आयोजन करना था। लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि राजस्व न्यायालयों द्वारा लोक अदालत के आयोजन/ संचालन हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड ने बताया कि कम मामलों के लम्बित रहने के कारण ऐसी लोक अदालत का गठन नहीं किया गया। उत्तर सन्तोषजनक नहीं था, क्योंकि लम्बित प्रकरणों की वृद्धि को देखते हुए एक वर्ष में 150 प्रतिशत निस्तारण हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये थे जिसे लोक अदालत का गठन न करके विभाग ने भू-राजस्व सम्बन्धित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण का अवसर खो दिया था।

2.8.8 आनलाइन सिस्टम/ वेबसाइट एवं राजस्व मामलों का प्रबन्धन

राजस्व बोर्ड के पास अपनी सेवाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु बेवसाइट³⁵ है। परन्तु राजस्व सम्बन्धी मामलों को ऑनलाइन दर्शाने का कोई डाटाबेस तैयार नहीं किया गया था।

इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर राजस्व बोर्ड ने बताया कि न्यायालय से सम्बन्धित डाटाबेस राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) के सहयोग से भविष्य में बनाया जायेगा। इस प्रकार प्राधिकारी एवं याचिकाकर्ता दोनों ही बेवसाइट से विभिन्न राजस्व प्रकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से वंचित रहे।

निष्कर्ष एवं अनुशंसायें

पीठासीन अधिकारियों की कमी एवं अधिवक्ताओं द्वारा बार-बार की जाने वाली हड़ताल के कारण राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में बढ़ोत्तरी हुई। राजस्व प्रकरणों के निपटान हेतु निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान लगभग 50 प्रतिशत कम उपलब्धि हुई। परिणामस्वरूप, विभिन्न स्तरों के राजस्व मामलों 16,108 (अप्रैल 2003) से बढ़कर 34,209 (अगस्त 2015) तक पहुंच गये।

राजस्व मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार/ विभाग पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए विचार करे। सरकार को भी लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु लोक अदालतें लगानी चाहिए।

³⁵ www.uk.revenue.gov.in.